



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 18 जून, 2026 ई०

ज्येष्ठ 28, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या- 406267 / ix-1 / 2026 / E-55075-246 / IX-1 / 2004

देहरादून, 18 जून, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-57 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु निम्नानुसार गैर सरकारी सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	प्राधिकरण का नाम	नामित व्यक्ति का नाम एवं पता
1	2	3
1	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।	श्री विशाल वर्मा (एडवोकेट) पुत्र श्री अरुण कुमार वर्मा, भागीरथ एन्क्लेव, रुड़की, जनपद-हरिद्वार।
2	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा।	श्री संजय शाह जगाती पुत्र श्री शंकर लाल शाह, पिण्डारी रोड, जनपद-बागेश्वर।
3	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी।	श्री ललित सिंह दोसाद पुत्र श्री मोहन सिंह, 57, छानी लवेसल, जनपद-अल्मोड़ा।
4	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल।	श्री हरदीप सिंह (सन्नी) पुत्र श्री इन्दरजीत सिंह, रामनगर, रुड़की, जनपद-हरिद्वार।

आज्ञा से,

बृजेश कुमार सन्त,
सचिव।